

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Estt/297/19/927

दिनांक: 17.12.19

## कार्यालय आदेश

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय का पत्रांक 460 दिनांक 31.10.2019 के आलोक में पत्र संख्या BRLPS/LSBA/Estt/297/19/830 दिनांक 08.11.2019 के माध्यम से श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड भगवानपुर, जिला बेगूसराय से मांगी गयी स्पष्टीकरण के आलोक में श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 20.11.2019 को प्रत्युत्तर राज्य कार्यालय में समर्पित किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर एवं तथ्यों एवं आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सम्यक् विचार करते हुए लिये गये निम्न निर्णय को संसूचित किया जाता है कि :-

- श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड भगवानपुर, जिला बेगूसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
- श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रखंड समन्वयक को देय मानदेय से पाँच दिनों का मानदेय की कटौती की जाएगी।
- श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रखंड समन्वयक को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में वे अपने कार्यों के प्रति सजग एवं संवेदनशील रहें अन्यथा अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रखंड समन्वयक, भगवानपुर प्रखंड को अपने आचरण एवं कार्यशैली में सुधार हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए चेतावनी दी जाती है कि यदि भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति होती है तो LSBA-HR Manual में वर्णित प्रावधानों के आलोक में अनुबंध समाप्त किए जाने हेतु कार्यवाई की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
-सह-मिशन निदेशक के आदेशानुसार

(राजीव कुमार सिंह)

प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक

ज्ञापक : BRLPS/LSBA/Estt/297/19/927

दिनांक : 17.12.19

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि पत्र की तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि: निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव/उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव कुमार सिंह)

प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक